

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक: 08.10.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन " के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।

पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष सश्रम कारावास व ₹1,00,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित।

वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा।

थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत आवेदक द्वारा अभियुक्त अरुण कुमार जायसवाल पर अपनी पुत्री की मौत का आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री, अभियुक्त के कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाती थी। दिनांक 19 जून 2018 को अभियुक्त ने मृतका के घर फोन करके उसके चचेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसने फांसी लगा ली है, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त रास्ते से ही भाग गया। मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में थाना चौरी पर मुकदमा अपराध संख्या 43/18 धारा 306 भारतीय दंड संहिता का अभियोग पंजीकृत कर वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन कनविक्शन " के तहत चिन्हित व महिला/बाल सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप श्री दुर्गेश, मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भदोही-ज्ञानपुर द्वारा दोषी अभियुक्त अरुण कुमार जायसवाल, निवासी ग्राम कोल्हण, थाना चौरी, जनपद भदोही को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,00,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भदोही पुलिस द्वारा अपराधों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराने की कार्यवाही निरंतर जारी है।